

(58)

पार्टीस्ट: ६५

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-३) विभाग

लमांक प. ८(१०)प्रसु / अनु.३/२०११

दिनांक: २३-७-२०१५

आदेश

अनुसृति जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा शांकास्पद / फर्जी एवं अनादिकृत रूप से जाति प्रशान्त पत्र प्राप्त कर सरकारी नौकरियों, रीकार्डिंग संस्थाओं में प्रवेश तथा शाखानीतिक चुनाव एवं अन्य अवसरणक सुविधाओं का लाभ से रहे हैं, जिससे वास्तविक अनुसृति जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति वंशित रह जाते हैं। इस संबंध में कानूनीय तर्दाच्च च्यायालिय तथा छाच्च च्यायालिय ने ऐसे ग्रामतां में छानबीन समिति गठन करने का निर्णय दिये हैं। अब ऐसे शांकास्पद/फर्जी प्रभाग फर्जी को जारी होने तथा दुरुपयोग करने के प्रकरणों को शोकने के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया जाता है:-

* जिला स्तरीय

१. जिला कलकटर	अध्यक्ष
२. अधिरिक्त जिला कलकटर (राजस्थ)	समन्वयक
३. अधिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन प्रभारी अधिकारी (भाडा), जिला परीचाद	सदस्य
४. संघित रघ पिला गजिन्हेट / उपकलपठ अधिकारी	सदस्य
५. जिला अधिकारी सामाजिक च्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य

जिला स्तरीय छानबीन समिति के कार्य एवं विवितयां

१. समिति की बैठक प्रदिवाह आवश्यक रूप से की जावेगी तथा समिति में जो भी जाप्ते प्राप्त होंगे उन सब ग्रामतां का एक रजिस्टर में नियमित रूप से संशोधन किया जाएगा। तथा समिति की बैठक आयोजित करने के लिये अधिरिक्त जिला कलकटर राजस्थ (समन्वयक) प्रभारी अधिकारी होंगे।
२. समिति में शुद्ध, फर्जी एवं शांकास्पद जाति प्रभाग-पत्रों के भाग्यते दर्ज किये जा सकेंगे तथा समिति जारी किये गये जाति प्रभाग-पत्रों की अपने रहर पर परीक्षण करेंगी तथा परीक्षण उपरान्त सत्यता का निष्कर्ष सहित अपना निर्णय लिया जाकर जाति प्रभाग-पत्र की शैक्षा/अवैधता के संबंध में समुचित आदेश दी माह में जारी करेंगी। तथा उक्त निर्णय की सूचना पंजीकृत ढाय अविलम्ब संशोधित पत्रों को दी जावेगी। नावासिग की रियाति में उसके माता-पिता / सरकार को सूचना प्रेषित की जावेगी। यदि उक्त अवैधि में निर्णय नहीं किया जा सकता है तो ससके कारणों का अंकन किया जाना आवश्यक होगा।

- (54)
3. जाति प्रमाण पत्रों की संतुलता या परीक्षण करने के समय संविधित पद्धति द्वारा वापसीतेपत्रों २००
 4. जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिल्लीवासी एवं उठ खस्तिके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिसका जाति प्रमाण पत्र है उसको अपना वह रखने हेतु रामुचित अधिकार पदान करने हेतु जोड़िया जाती हैं जो सकती है।
 5. जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिल्लीवासी एवं उठ खस्तिके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिसका जाति प्रमाण पत्र है उसको अपना वह रखने हेतु रामुचित अधिकार पदान करने हेतु जोड़िया जाती हैं जो सकती है।
 6. जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिल्लीवासी एवं उठ खस्तिके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिसका जाति प्रमाण पत्र है उसको अपना वह रखने हेतु रामुचित अधिकार पदान करने हेतु जोड़िया जाती हैं जो सकती है।
 7. जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिल्लीवासी एवं उठ खस्तिके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिसका जाति प्रमाण पत्र है उसको अपना वह रखने हेतु रामुचित अधिकार पदान करने हेतु जोड़िया जाती हैं जो सकती है।
 8. जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में दिल्लीवासी एवं उठ खस्तिके विरुद्ध शिकायत की गयी है जिसका जाति प्रमाण पत्र है उसको अपना वह रखने हेतु रामुचित अधिकार पदान करने हेतु जोड़िया जाती हैं जो सकती है।

(रमेश चंद्र मारुदाळ)
शासन उप सचिव

दिनांक

झनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ देतु प्रेषित है—

- 1) अवैतिका नुस्खा संचिव, बहामदिव राज्यपाल चहोदय, राजस्थान अधिकार, जयपुर
- 2) प्रगृह तात्पर्य संचिव, गुजराती भाषावाच, प्रद्रव्यसाग अधिकार जयपुर
- 3) गिरी राधिय, गुजराती भाषावाच, राजस्थान अधिकार
- 4) अद्यत राज्य एकल राजस्थान अधिकार
- 5) निजी संचिव, समरता भाषावाच / राज्य गवर्नर राजस्थान राजकार जयपुर
- 6) तपत्त प्रगृह शासन संचिव / शासन संचिव जासन संचिवालय, राजस्थान जयपुर
- 7) नगरसा विभागाधार, राजस्थान अधिकार, जयपुर
- 8) संचिव, राजस्थान विभागाधार, राजस्थान संचिवालय, जयपुर
- 9) संचिव, राजस्थान लोक रेल आयोग, राजस्थान जयपुर
- 10) संचिव, राजपालिक न्याय एवं अधिकारिता बंकलय, भावत राजकार यह दिस्ती।
- 11) संचिव, जनजाति दलर्ष बंगलय, भावत सरकार, यह दिस्ती।
- 12) भावत संभानीद आयुक्त
- 13) भावत विभाग कालेक्टर
- 14) संचिव दिल्ली पुस्तिक अधिकार
- 15) संचिव समस्त वालीग / लोर्ड
- 16) यद विदेशी / लक्ष्य विदेशी / वित्त विदेशी एवं राजाज कल्याण अधिकारी, राजाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

शासन उप सचिव